(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–16/2018

वादीगण

1. गेनाराम पुत्र मांगाराम
2. चैनाराम पुत्र मांगाराम
3. मानाराम पुत्र मांगाराम
4. पूराराम पुत्र मांगाराम
5. श्रीमती चुन्नीदेवी पत्नी मांगाराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगाराम पुत्र तुलसाराम,
2. विशनाराम पुत्र भींयाराम
3. दुर्गाराम पुत्र बागाराम
4. थानाराम पुत्र रायमलराम
5. गोमाराम पुत्र शेराराम
6. रूपाराम पुत्र बागाराम
7. केहराराम पुत्र बागाराम
8. श्रीमती नथूदेवी पत्नी बागाराम
9. बलवन्ताराम पुत्र लिखमाराम
10. पेमाराम पुत्र लिखमाराम
11. श्रीमती जसीदेवी पत्नी लिखमाराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
12. तहसीलदार एवं उपपंजीयक, सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92क,183,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री रामजीवन विश्नोई वकील वादीगण
2. श्री भंवरलाल सारण वकील प्रतिवादी सं. 1
3. श्री डालूराम गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4
4. श्री भंवरलाल चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 5 से 11
5. पैरोकार सरकार प्रतिवादी सं. 12
6. शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक– 07.08.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 से 4. प्रतिवादी संख्या 1 के जाईदा पुत्र हैं। ग्राम धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा सं. 166 रकबा 116.00

SDO

भूमि वादी संख्या 1 से 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सम्पत्ति की थी, जिसका पर्चालगान वादी संख्या 1 से 4 के पितामह एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तुलसाराम के नाम से जारी हुआ था। इस प्रकार उक्त भूमि में इन प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा था। तुलसाराम के फौत होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस भूमि में से 24–00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पूर्व पुरुष शेराराम को जरिए रजिस्ट्री बेचान कर दिया। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 का शेष भूमि में कोई हक नहीं रहा। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अपनी प्रविष्टि दर्ज होने का लाभ उठाकर शेष 92–00 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से का वादीगण के नाम एवं 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बेचान कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेचान किया। उक्त 92–0 बीघा भूमि पर वादी संख्या 1 से 4 का जन्मतः हक होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये बेचान एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया गया बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी थे। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वाद दर्ज करने के 6–7 वर्ष पहले 8–10 बीघा भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया, जो शून्य एवं निष्प्रभावी बेचान पर आधारित होने से अतिक्रमण है। अतः वादीगण ने वादग्रस्त 92–00 बीघा भूमि जिसमें से 0–05 बीघा भूनि राज्य सरकार के हक में समर्पण करने से शेष बची 91–15 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की खातेदारी निरस्त करवाने, वादी संख्या 1 से 4 की आवगी खातेदारी में घोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 92–00 बीघा भूमि के किये गये समग्र बेचान व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में किया गया बेचान शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने, उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करवाने तथा बाद कब्जा हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO सिवाना

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उसे ऊंट व गाडे के लिए सरकारी अनुदान स्वीकृत करवाने का झांसा देकर धोखे से बेचानपत्र पर प्रतिवादी संख्या 2 के भाई आसूराम, जो गांव का सरपंच था, ने गुडा तहसील ले जाकर बिना कोई प्रतिफल दिये अपने भाई प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रजिस्ट्री करवा दी, जिसकी जानकारी उसे 2 वर्ष पूर्व हुई। प्रतिवादी संख्या 5 से 11 ने अपने जवाब में वाद के समस्त तथ्यों की ताईद करते हुए माफिक इस्तदुआ वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने जवाब में वाद में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि के खातेदार एवं वादीगण के परिवार के कर्ता खानदान मांगाराम से जरिए रजिस्टर्ड बेचान 46–00 बीघा भूमि क्रय की और प्रतिवादी संख्या 2 से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जरिए रजिस्टर्ड बेचान क्रय की। वक्त खरीद से उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त बेचान वादीगण की पूर्ण सहमति से हुए थे। इसके अतिरिक्त बेचान सक्षम सिविल न्यायालय से बिना निरस्त करवाये न तो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की खातेदारी निरस्त की जा सकती है और न ही वादीगण की खातेदारी घोषित की जा सकती हैं रजिस्टर्ड बेचानों को रद्द व अवैध करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नहीं होने से वादीगण का यह वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को उनके जायज खातेदारी हकों से महरूम करने की नीयत से दुरभिसंधि कर गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से की भूमि माफिक कब्जा काश्त पृथक की जावे एवं वादीगण के विरुद्ध उनके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई –

... ग्राम ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 166 रकबा 116 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पिता व दादा को बेचान करने पर शेष रही भूमि 92-00 बीघा वर्तमान रेकॅर्ड अनुसार रकबा 91.15 बीघा पैतृक व पुश्तैनी होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं? –**जिम्मे वादीगण**

2. आया वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में भूमि शेष नहीं होने के उपरान्त भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया बेचान प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है ? – **जिम्मे वादीगण**

3. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 को शून्य एवं प्रभावहीन बेचान करने पर प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा शून्य बेचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया गया बेचान शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने के वादीगण हकदार है ? **जिम्मे वादीगण**

4. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को शून्य बेचान के आधार पर राजस्व रेकॅर्ड में उनके नाम से किये गये इन्द्राज वादी निरस्त करवाने के हकदार हैं?– **जिम्मे वादीगण**

5. आया वादग्रस्त भूमि में शून्य एवं प्रभावहीन बेचान के आधार पर वादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि रकबा 10 वीघा पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा किया गया अवैध कब्जा ध्वस्त कर मौके पर से वेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के वादीगण हकदार हैं ? – **जिम्मे वादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

6. आया वादीगण अपने पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है? –**जिम्मे वादीगण**

7. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में सुसंगत कानून के तहत किसी आसामी के निर्वसीयती फौत होने पर उनकी सम्पत्ति उनके ... मतवफी तुलसाराम के फौत होने पर परिवार का

ती व संरक्षक होने की हैसियत पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी में इन्द्राज हुई और परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण को आधा आधा हिस्सा बेचान किया। तत्पश्चात प्रतिवदी संख्या 2 ने अपना 1/2 हिस्सा आगे प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को अग्रिम रजिस्ट्री बेचान किया? **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**

8. आया वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण को दिनांक 21.08.1985 को किया। जो वादीगण की सहमति से किया गया था। इस कारण उक्त बेचान को वादीगण चुनौती नही दे सकते है ? **जिम्मे प्रतिवादी सं 3 व 4**

9. आया वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का बेचान करने के बाद उसने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दिनांक 24.07.1986 को बेचान किया। उक्त बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना यह वाद नहीं चल सकता है? – **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**

10. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का वक्त खरीद दिनांक 24.07.1986 से आदिनांक तक अपने 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है?– **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**

11. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम धन्ने की ढाणी की खसरा संख्या 166 रकबा 92 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 21.08.1985 को व 1/2 हिस्से का वादीगण के पक्ष में बेचान किया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.07.1986 को बेचान 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का श्रृंखलाबद्ध कब्जा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में उसके हक को अस्वीकार करते हुए 36 वर्षों से लगातार आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खरीददार काश्तकार बन जाने की वजह से खातेदारी घोषित करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

... वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से पर कब्जा नहीं 1 से व कब्जो की इस्तगुआ परिसीमा से बाहर होने से यह वाद चलने योग्य नहीं है ? — **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**

13. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तक खरीद रजिस्ट्री व कब्जा काश्त के अनुसार 1/2 हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने के हकदार है ? — **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4**

14. अन्य सहायता ।

वादीगण के वकील ने अपने वाद कथन के समर्थन में चैनाराम पी.डब्ल्यु. 1, पूराराम पी.डब्ल्यु.2, नवलाराम पी.डब्ल्यु.3 व खेराजराम पी.डब्ल्यु. 4 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की चालू जमाबन्दी, उक्त भूमि की प्रथम जमाबन्दी संवत 2013—16, ग्राम धन्ने की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 146, 179 व 231, खसरा संख्या 430/166 व 595/166 की जमाबन्दी संवत् 2072—75, मांगाराम द्वारा शेराराम को किया गया बेचान, मांगाराम द्वारा विशनाराम व वादीगण को किया गया बेचान एवं विशनाराम द्वारा दुर्गाराम व थानाराम को किये गये बेचान की प्रतियां प्रस्तुत कीं। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से मौखिक साक्ष्य में दुर्गाराम डी.डब्ल्यु. 1, थानाराम डी.डब्ल्यु 2, विशनाराम डी.डब्ल्यु.3, हनुमानराम डी.डब्ल्यु. 4, वीरमाराम डी.डब्ल्यु. 5 व पूनमाराम डी.डब्ल्यु .6 को परीक्षित करवाया। वादी वकील की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के वकील की बहस है कि वादीगण [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 166 रकबा 116—00 बीघा [illegible] तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि वक्त बन्दोबस्त वादी संख्या 1 से 4 के पितामह एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तुलसाराम के नाम दर्ज हुई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी निर्वसीयती खातेदार के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि का उसके वारिसान में

SDO

...शामिल था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार दादा से प्राप्त पुश्तैनी भूमि में पोतों का अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर हक होता है। अतः तुलसाराम के फौत होने पर उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 मांगाराम एवं पोतों वादी संख्या 1 से 4 में से प्रत्येक का 1/5 हिस्से पर हक होगा। किन्तु नामान्तरण प्रक्रिया में पिता के जीवनकाल में पोतों का नाम दर्ज नहीं करने की परिपाटी होने से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त 116–00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हुई। जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा था तदनुसार 23.04 बीघा भूमि प्रत्येक के हिस्से में आती थी, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि अपनी आवगी खातेदारी में दर्ज होने से 24 बीघा भूमि का अर्थात् अपने हिस्से से 0–16 बीघा अधिक भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पूर्व पुरुष शेराराम को बेचान कर दिया और शेराराम के फौत होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 से 11 की खातेदारी में अंतरित हुई। वादीगण ने उक्त 0–16 बीघा अधिक बेचान के सम्बन्ध में अपनी अनापत्ति व्यक्त की। किन्तु शेष 92–00 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं होने के बावजूद उसमें 46–00 बीघा भूमि का वादीगण को एवं 46–00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दिया। पुनः प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त 46–00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेचान किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त 92–00 बीघा भूमि में से टांका निर्माण हेतु 0–05 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी। उक्त सार्वजनिक जनोपयोगी कार्य हेतु समर्पण होने से इस सम्बन्ध में वादीगण ने अपनी सहमति व्यक्त की। वादीगण अपने हक की 91–15 बीघा भूमि अपनी बहिस्सा बराबर आवगी खातेदारी में घोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जिन्होंने बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर कब्जा किया है, को मौके से बेदखल करवाने तथा बाद कब्जा प्राप्ति प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध अपने कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिवाना

सहायक कलक्टर

नहीं किये जाने से वादी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। अपनी दलील में वकील वादी ने बी.एल.जे. 2009 पृष्ठ 1402, बी.एल.जे. 2016 (3) पृष्ठ ... आर.आर.डी. 2014 (3) पृष्ठ 666, आर.आर.डी. 2023 (2) पृष्ठ 860, आर.आर.डी. (2) पृष्ठ 1477, आर.आर.डी. 2022 (2) पृष्ठ 1029, आर.आर.डी. 2023 (1) पृष्ठ 646, आर.आर.डी. 2018(1) पृष्ठ 842 एवं आर.आर.डी. 2018 (1) पृष्ठ 634 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त परिवार का मुखिया एवं कर्ताधर्ता तुलसाराम था। तुलसाराम के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि मांगाराम के नाम दर्ज हुई। तुलसाराम की फौतेदगी के बाद वादी परिवार के मुखिया मांगाराम से प्रतिवादी संख्या 2 ने एवं प्रतिवादी सं 2 से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जरिए रजिस्टर्ड बेचान 46-00 बीघा भूमि क्रय की थी। उक्त बेचान घरेलू आवश्यकता के लिए वादीगण की पूर्ण सहमति से मांगाराम ने निष्पादित करवाया था। मांगाराम की ओर से अपने पुत्रों एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम लिखवाये गये बेचान पृथक-पृथक बेचान पत्रों में नहीं होकर, एक ही बेचान पत्र में दो पार्टियों के रूप में किये गये थे। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी सं. 2 के हक में किये गये बेचान की जानकारी नहीं होने की दलील नहीं दे सकते और उन्हें प्रारंभतः मांगाराम द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को किये गये बेचान की पूर्व जानकारी थी तथा उनकी पूर्ण सहमति थी। सन् 1985 से अर्थात करीब 35 वर्षों से वादीगण की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का मौजूदा वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर उनकी ...गया, टांके, चारवाड़ आदि बने हुए हैं। संयुक्त खातेदारी की 92-00 बीघा भूमि में से ... बीघा भूमि का वादीगण की सहमति से राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवाया गया ... वादीगण उक्त बेचानों को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना उक्त भूमि के ... किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वादीगण का वाद गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

...हीन से खारिज किया जावे, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से की भूमि का कब्जा काश्त पृथक की जावे तथा वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपनी दलील के समर्थन मे वकील प्रतिवादी सं 3 व 4 ने RRT 2021(1) page 11, RRT 2020 (2) page 767, RJT 2019 (2) page 1418, RJT 2019(1) page 156 एवं सी.पी.सी. 1908 धारा 100 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं 3 व 4 की बहस में दी गई जानकारी संबंधी दलील का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि यद्यपि वादीगण एवं प्रतिवादी सं 2 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एक ही बेचान पत्र लिखवाया गया था, किंतु उस समय कोई भी वादी बालिग नहीं था और प्रत्येक की आयु 16 वर्ष से कम थी। इस प्रकार नाबालिग व्यक्ति की तत्समय सहमति–असहमति की कोई विधिक पात्रता नहीं थी। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 व 4 का यह कहना कि बेचान में वादीगण की सहमति थी, पूर्णतः गलत व मनगढ़त है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया–

तनकी संख्या 1 से 4– वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के आधार पर वादीगण द्वारा खसरा संख्या 166 में अपना जन्मतः हक होने से 91–15 बीघा भूमि अपनी आवगी खातेदारी में घोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किये गये बेचान शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा उक्त बेचानों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किये गये ... निरस्त करवाने की ...नकी इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिन्हें सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त ...दी संख्या 1 से 4 के पितामह तुलसाराम की खातेदारी में दर्ज हुई थी, जिनके द्वारा कुछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] के बाद उनके फौत होने पर विक्रय से शेष बची खसरा संख्या 186 की [illegible] बीघा भूमि वादीगण के पिता पति मंगाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी मृत खातेदार के फौत होने पर उसकी विरासत का उत्तराधिकार उसी विधि के अनुसार निश्चित होगा जिसके कि वह मृत्यु के समय अध्यधीन था। मृत तुलसाराम जाति के जाट होने से हिन्दू विधि से शासित होता था और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी हिन्दू खातेदार के फौत होने पर उसकी तमाम सम्पत्ति पर उसके पुत्रों के साथ-साथ उसके पोते-पोतियों का भी उनका बहिस्सा बराबर हक होता है। इस प्रकार 116-00 बीघा भूमि में तुलसाराम के पांचों वारिसान 1 पुत्र व 4 पोतों में से प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्से पर हक होगा। तदनुसार उक्त प्रत्येक को 23-04 बीघा भूमि हिस्से में आती है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पूर्व पुरुष [illegible] को 24-00 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। वादीगणों ने अपनी बहस में उक्त 0-16 बीघा भूमि के अधिक बेचान के सम्बन्ध में अपनी अनापत्ति व्यक्त की। उक्त बेचान के बाद शेष बची 92-00 बीघा भूमि में अपना कोई हक शेष नहीं होने तथा उक्त भूमि वादी संख्या 1 से 4 के हक की होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में अपनी प्रविष्टि होने के आधार पर 46-00 बीघा भूमि का वादीगण के एवं 46-00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बेचान कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त दोनों बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। जहां तक वादीगण को मंगाराम की ओर से स्वयं व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से लिखवाये गये बेचान की प्रारंभतः जानकारी होने की दलील का प्रश्न है बेचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्समय वादी सं. 1 की आयु 16, वादी सं. 2 की आयु 11, वादी सं. 3 की आयु 10 एवं वादी सं. 4 की आयु 8 वर्ष थी। इस प्रकार बेचान के दौरान वादीगण की सहमति होने का [illegible] नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त बेचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] के नाम [illegible] कर दिया। उक्त बेचानों के [illegible] इन खातेदारों ने 0-05 बीघा भूमि का [illegible] हेतु राज्य सरकार के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

SDO [illegible]

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से से अधिक किया गया बेचान प्रारम्भतः शून्य एवं वास्तविक हिस्सेदार के अधिकारों के प्रति बेअसर होता है। RRT 2022(2) Page 1377 के अनुसार स्वामित्व का अभिवाक एवं प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक परस्पर विरोधी होने से दोनों एक साथ नहीं चल सकते। RRT 2022(2) Page 1029 के अनुसार बिना हक के किया गया सम्पत्ति का बेचान अविधिसम्मत होता है। RRT 2023(1) Page 648 के अनुसार पैतृक भूमि में पिता के साथ पुत्र व पुत्रियों का बराबर अधिकार होता है। RRT 2018(1) Page 642 के अनुसार विक्रयपत्र को बिना निरस्त किये शून्य घोषित करने का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। RRT 2018(1) Page 534 के अनुसार हिस्से से अधिक भूमि के विक्रयपत्र को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय में निहित है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि के बेचान से सम्बन्धित होने से उक्त न्याय दृष्टांत इस प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। उपरोक्त तनकीयात 1–4 सिद्ध करने का भार वादीगण पर होने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य, साक्ष्य सबूत, न्यायिक दृष्टांतों से उक्त तनकीयात वादीगण द्वारा सिद्ध कर दिये जाने के कारण तनकी संख्या 1 से 4 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 व 6– उक्त तनकियात वादीगण की 91–15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को उक्त भूमि से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने की इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिन्हें सिद्ध करने का जिम्मा भी वादीगण पर है। चूंकि तनकी संख्या 1 से 4 के विवेचन में वादीगण खसरा संख्या 166 रकबा 91–15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये बेचान शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा उक्त समग्र भूमि वादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में घोषित करवाने में सफल हो चुके है और स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कब्जा भी अवैध व अतिक्रमण से अधिक कुछ भी नहीं है। अतः वादी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध बाद बेदखली स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर SDO सिणधरी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

है। लिहाजा यह तनकी भी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध निर्णीत की

उपर्युक्त विवेचन से यह अभिव्यक्ति प्राप्त है कि वादी संख्या 1 से 4 की रकबा 91-15 बी. भूमि की खातेदारी तथा कब्जा प्राप्त करने के हकदार है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत जो पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समान खातेदारी हक रखने एवं हिस्से से अधिक बेचाने को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने की राजस्व न्यायालय की अधिकारिता से सम्बन्धित है, इस वाद की प्रकृति पर पूर्णत लागू होते है।

अतः उपरोक्त समस्त प्रस्तुत दस्तावेजात का बाद परीक्षण तथा विधि के परिप्रेक्ष्य विवेचन अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य- सबूतो तथा न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी सं. 3 से 4 अपने पक्ष के तथ्यों को साबित करने में विफल रहे है तथा वादीगण अपने वाद के तथ्यों को जरिये अभिलेखिय दस्तावेजो, साक्ष्यो, सबूतों को प्रस्तुत न्याय दृष्टातों के अनुसार अपनी पुश्तैनी भूमि अपना हक होना साबित कर चुके है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा सख्या (राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित भूमि को जनभावना से अपने सहमति से हक का परित्याग करने के पश्चात शेष भूमि) के 166 रकबा 91-15 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की विद्यमान प्रविष्टियां निरस्त करते हुए उक्त भूमि वादी संख्या 1 से 4 की आवगी बहिस्सा बराबर खातेदारी में घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी सं. 3 से 4 का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित करवाये गये बेचान शून्य व निष्प्रभावी घोषित किये जाते है। एवं उक्त समग्र बेचान पत्रों के आधार पर राजस्व रेकर्ड की समस्त प्रविष्टिया (राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित भूमि की सहमति से छोड़ी गई भूमि की प्रविष्टि का अंकन राजस्व रेकर्ड में यथावत रखते हुए) को रिकार्ड से हटाते हुए तहसीलदार सिणधरी को इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिणधरी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

...न राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। शून्य व निष्प्रभावी ...न के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा किये गये वादग्रस्त भूमि पर कब्जे से उन्हें बेदखल कर वादी संख्या 1 से 4 को कब्जा दिलवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है। कब्जा हस्तातरण हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें थानाधिकारी सिणधरी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। बाद कब्जा हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को लिखा... जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर SDO सिणधरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी